सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5904/MH/593/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 29.06.2026

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट,
जिला-मुंबई-उपनगर,
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगरीय जिला,
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी,
चेतना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
डी. एन रोड, क्रॉफर्ड मार्केट के सामने,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

आयुक्त,
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी),
द्वितीय तल, पुरानी बिल्डिंग,
बीएमसी मुख्यालय, महानगरपालिका मार्ग,
मुंबई-400001, महाराष्ट्र
ई-मेल आईडी: mc@mcgm.gov.in

विषय: अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में श्री भीवा जीवाला वारथा, निवासी- जीवाला पाडा, सिध्दार्थ नगर, ठाकुर विलेज, कांदिवली (पूर्व), जिला- मुंबई (महाराष्ट्र) से प्राप्त दिनांक 19.08.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.05.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-।, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 20.07.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री भीवा जीवाला वारथा,
निवासी- जीवाला पाडा, सिध्दार्थ नगर,
ठाकुर विलेज, कांदिवली (पूर्व),
जिला- मुंबई (महाराष्ट्र)
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।